भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2754

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

सीबीएसई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा तकनीकी सहायता

2754 **श्री इमरान प्रतापगढ़ी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीबीएसई खेल प्रतियोगिताओं के संचालन को शासित करने वाले नियम और दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ), राज्य खेल संघों या जिला खेल संघों द्वारा ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए अधिकारियों और रेफरी सहित तकनीकी सहायता प्रदान किया जाना अपेक्षित है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, सीबीएसई खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए आयोजक विद्यालयों को कितना बजटीय आवंटन और वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(घ) ऐसे कोष के उपयोग और लेखापरीक्षा के क्या मानदंड है; और

(ङ) सीबीएसई खेल प्रतियोगिताओं के दौरान निष्पक्ष संचालन, खेल नियमों के पालन और शिकायत निवारण को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) खेल व्यापक सीबीएसई खेल (दिशानिर्देश) (सीबीएसई स्पोर्ट्स पोर्टल पर उपलब्ध) और वार्षिक परिपत्र (उदाहरण के लिए, परिपत्र संख्या एसीएडी-19/2026) द्वारा शासित होते हैं। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

i. **संरचना:** क्लस्टर स्तर पर (मोटे तौर पर राज्य-आधारित; उच्च-भागीदारी वाले खेल जैसे एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल (लड़के), कबड्डी, खो-खो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल), क्षेत्रीय स्तर (तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, शतरंज, फुटबॉल (लड़कियां), हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, निशानेबाजी, स्केटिंग, तैराकी, ताइक्वांडो, टेनिस, योगासन जैसे कम भागीदारी वाले खेलों के लिए), और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुछ खेल (एरोबिक्स, जिमनास्टिक और रोप स्किपिंग) सीधे राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।

ii. **आयु मानदंड:** घटना के वर्ष के दिनांक 31 दिसंबर तक गणना की गई (उदाहरण के लिए, 2026-27 के लिए: 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दिनांक 01.01.2016 को/बाद में पैदा हुए; 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दिनांक 01.01.2013 को / बाद में; 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को दिनांक 01.01.2010 को/बाद में; 19 वर्ष से कम आयु के बच्चे के संबंध में दिनांक 01-01-2008 को / उसके बाद में कार्रवाई की जाती है।

iii. **पात्रता और भागीदारी:** छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण (यूआईडी-आधारित), भाग लेने के लिए आवेदन, और आयोजनकर्ता स्कूल को सहभागिता पुष्टि। क्लस्टर/अंचल स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेता राष्ट्रीय स्तर के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। विदेशी स्कूल विदेशी क्षेत्र (ओं) के तहत प्रतिस्पर्धा करते हैं और सीधे नागरिकों के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

iv. **आयोजनकर्त्ता स्कूलों:** ऑनलाइन आवेदन, क्षेत्रीय खेल समिति की सिफारिशों और राष्ट्रीय खेल समिति द्वारा अंतिम रूप के माध्यम से चयन। स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए (अधिमानतः एसएआई विनिर्देशों के अनुसार) और सहायक वीडियो अपलोड करने चाहिए।

v. **अन्य नियम:** पात्रता दस्तावेजों, अयोग्यता, सुरक्षा उपायों, आवास/भोजन (प्रतिभागियों को आमतौर पर एक निर्धारित दैनिक शुल्क का भुगतान करते हैं), प्रमाण पत्र (ऑनलाइन जेनरेशन) को कवर करें; सीबीएसई द्वारा प्रदान किए गए पदक, और खेल-विशिष्ट नियम (आमतौर पर मान्यता प्राप्त संघों/एसजीएफआई अनुरूप संरेखित जहां लागू हो)। टकराव/अस्पष्टता के मामले में, नवीनतम परिपत्र प्रचलित है।

(ख): सीबीएसई खेलों (दिशा-निर्देश) के अनुसार, आयोजनकर्ता स्कूल निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए संबंधित खेल के जिला/राज्य खेल संघों/परिसंघों से तकनीकी रूप से योग्य और अनुभवी अधिनिर्णायक/रेफरी/खेल अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार है।

(ग): सीबीएसई आयोजनकर्त्ता स्कूलों को एक निश्चित खेल अनुदान प्रदान करता है (इस प्रयोजन के लिए अलग से प्रकाशित परिवर्तनीय वर्ष-वार बजटीय आंवटन नहीं)। वर्तमान दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार (हाल के वर्षों में सुसंगत, जिसमें वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 प्रावधान शामिल हैं):

- क्लस्टर/जोनल स्तर: ₹2,00,000
- राष्ट्रीय स्तर: ₹3,00,000
- एथलेटिक्स और तैराकी: ₹4, 00,000 (क्लस्टर/आंचलिक) और ₹5, 00,000 (राष्ट्रीय)।

वर्ष	स्कूलों को आवंटित कुल अनुदान ₹
2023–24	6,32,00,000
2024-25	12,13,00,000
2025-26	9,00,00,000

(घ): अनुदान का उपयोग अनुमोदित शीर्षों (रेफरी/तकनीकी अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को भुगतान, मैदान रखरखाव, खेल उपकरण, टेंटेज, वीडियोग्राफी, विविध, आदि) के लिए किया जाना है।

संगठित स्कूलों को एक उपयोग प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि स्वीकृत उद्देश्य के लिए अनुदान का पूरी तरह से उपयोग किया गया है। प्रोफार्मा में आय और व्यय का एक विस्तृत ब्यौरा (आवास, उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, टेंटेज, रेफरी/अधिकारी, समारोह, फोटोग्राफी, टीए/डीए से पर्यवेक्षक, परिवहन, आदि को कवर किया गया है) शामिल है। आयोजनकर्ता स्कूलों को सीबीएसई एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) पोर्टल पर अपलोड करने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से उक्त प्रोफार्मा और खातों का लेखा परीक्षण कराना अपेक्षित है।

सीबीएसई इन प्रोफार्मा और खातों का आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा टीमों द्वारा लेखा परीक्षण कराता है।

(ङ): निष्पक्ष आचरण और नियमों का पालन: निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए आयोजनकर्ता स्कूलों द्वारा संबंधित जिला/राज्य खेल संघों/परिसंघों के तकनीकी रूप से योग्य अधिकारियों को कार्य पर रखा जाता है।

शिकायत/विरोध तंत्र: किसी भी तरह के विरोध को परिणाम घोषित होने के **30 मिनट** के भीतर ₹1,000 के शुल्क के साथ आयोजन सचिव को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस पर **अपील की जूरी** द्वारा विचार किया जाता है। पक्षों को सुना जाता है। यदि विरोध को बरकरार रखा जाता है, तो शुल्क वापस कर दिया जाता है; अन्यथा, इसे जब्त कर लिया जाता है। जूरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है और सीबीएसई खेल प्रकोष्ठ को (पूरे तथ्यों के साथ) इसकी सूचना दी जाती है।

सभी हितधारकों को सीबीएसई स्पोर्ट्स पोर्टल पर उपलब्ध खेल और खेल के नियमों तथा सीबीएसई खेलों (दिशानिर्देशों) का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। सीबीएसई खेल प्रकोष्ठ (उदाहरण के लिए, परिपत्रों में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से) से प्रश्न पूछे जा सकते है।
